न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	7/2025
दायर दिनांक	:	17.02.2025
निर्णय दिनांक	:	18.06.2025

1. आशा देवी पत्नी कमलेश कुमार जाति मीना, निवासी ग्राम खारण्डी तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. मन्नी पत्नी श्री गोरधनलाल जाति मीना, निवासी ग्राम खारण्डी तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
3. राजन्ती देवी पत्नी रामप्रसाद जाति मीना, निवासी ग्राम खारण्डी तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
4. लाली देवी पत्नी विनोद कुमार जाति मीना, निवासी ग्राम खारण्डी तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
5. सुनिता पत्नी राजेश कुमार जाति मीना, निवासी ग्राम खारण्डी तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खारण्डी तहसील भाण्डारेज में भूमि खसरा नम्बर 488/998 रकबा 1.00 है. है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी के खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात से लगती हुयी पडौसियों की खातेदारी भूमि है। जो अपनी खातेदारी की आड़ में प्रार्थीगण से सीमा विवाद कर प्रार्थीगण की उक्त भूमि को दबाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया है किन्तु पडौसी खातेदार सीमाज्ञान को नहीं मान रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि का जरिये पुलिस इमदाद सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। मुताबिक जवाब तहसीलदार भाण्डारेज प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की पुष्टि होती है। निष्कर्षतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम खारण्डी तहसील भाण्डारेज स्थित खसरा नम्बर 488/998 रकबा 1.00 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:43:44 IST
Reason: SelfAttested